न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 46/2015 अपील (राजस्व)

श्रीमती गीताबाई पुत्री श्री किशन जी पोकरा (पत्नि प्रभुलाल), निवासी ढिकली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार बड़गॉव, उदयपुर अनवान पटवारी ढींकली बनाम गीताबाई मुकदमा संख्या 05/2015 ना.क. निर्णय दिनांक 16.07.15

उपस्थित : श्री हिरालाल मेनारिया, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः—26.12.17

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत ढ़ींकली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर की चारागाह साबिक आराजी संख्या 1664/3 में से 2 बिघा 5 बिस्वा एवं आराजी संख्या 1665/4 में से 1 बिघा कुल किता 2 रकबा 3 बिघा 5 बिस्वा भूमि को चारागाह में कम कर आबादी विस्तार हेतु जिला कलक्टर उदयपुर के आदेश दिनांक 31.12.1988 से नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त आदेश की पालना नहीं होने से पट्टेधारियो द्वारा सिविल न्यायालय में वाद पेश कर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर रखी है जिसमें मिल्कियत एवं कब्जा अपीलान्ट का माना हैं। जिसके प्रकरण संख्या 205/95 फैसल दिनांक 13.03.97 हैं। जिला कलक्टर उदयपुर के आदेश दिनांक 31.12.88 की पालना नहीं होने से तहसीलदार गिर्वा द्वारा पट्टेशुदा कब्जेधारियो के विरूद्ध बार बार बेदखली की कार्यवाही की जाती हैं। जिससे ग्राम पंचायत ढीकली के सरपंच द्वारा तहसीलदार गिर्वा को प्रार्थना पत्र दिनांक 07.02.97 को जिला कलक्टर उदयपुर के आदेश दिनांक 31.12.88 के साथ पालना किये जाने हेतु लिखा गया। जिला कलक्टर द्वारा आबादी की पत्रावली में से नक्शे की प्रमाणित प्रति मंगवायी गई। तथा हल्का पटवारी से रिपोर्ट मंगवाई गई जिसपर तत्कालीन पटवारी श्री अनिल सिंघवी द्वारा पर्चा मौका दिनांक 05.02.98 को बनाया गया। जिसमें चारागाह से आबादी विस्तार में दी गई

साबिक आराजी संख्या 1664/3 व 1665/4 के मुकाबले हाल आराजी संख्या 3462 रकबा 2.1100 हैक्टर आराजी संख्या 3463 रकबा 0.0500 हैक्टर आराजी संख्या 3464 रकबा 0.0200 हैक्टर आराजी संख्या 3471 रकबा 1.2000 हैक्टर के मौका निरीक्षण कर मौके पर आराजी संख्या 3462 के रकबा 0.3900 हैक्टर, आराजी संख्या 3463 के रकबा 0.0500 हैक्टर, आराजी संख्या 3464 के रकबा 0.0200 हैक्टर व आराजी संख्या 3471 के रकबा 0.2500 हक्टर में मकान बने होकर उसमें निवास करना बताया तथा रिपोर्ट में बताया गया कि दिनांक 31.12.88 की पालना में आबादी विस्तार हेतु आवंटन की गई साबिक आराजी संख्या 1664/3 में से 2 बिघा 5 बिस्वा व आराजी संख्या 1665/4 में से 1 बिघा के मुकाबले हाल आराजी संख्या 3462 के रकबे का 0.3900 हैक्टर, आराजी संख्या 3463 रकबा 0.0500 हैक्टर, आराजी संख्या 3464 रकबा 0.0200 हैक्टर, आराजी संख्या 3471 रकबा 0.2500 हैक्टर बनना तत्कालिन पटवारी अनिलसिंह द्वारा बताया गया एवं मौके पर मकान बने होकर निवास किया जाना बताया गया। जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 352 दिनांक 22.07.99 स्वीकृत किया गया। परन्तु नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय सरपंच व पटवारी द्वारा चहितो को फायदा पहुॅचाने की गरज से नामान्तरकरण में काट छॉट कर अन्य आराजीयातो को जोड़ते हुए एवं बटा नम्बर काटते हुए रकबा बदलते हुए पूर्व में आबादी में दर्ज की आराजी के स्थान पर अन्य आराजी 3325 रकबा 0.3100 हैक्टर जोड़ दिया एवं आराजी संख्या 4588/3462 का रकबा 0.1600 हैक्टर कर दिया एवं आराजी संख्या 4589/3471 का रकबा 0.1800 हैक्टर कर दिया तथा आराजी संख्या 3463 रकबा 0.0500 हैक्टर एवं आराजी संख्या 3464 रकबा 0.0200 हैक्टर रखते हुए कुल रकबा 0.7200 हैक्टर कर दिया एवं आगे के राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर दिया। उसका नक्शा ट्रेस एवं उस समय की जमाबन्दी का रेकर्ड भी गायब कर दिया। अपीलान्ट के कब्जेशुदा भूखण्ड की आराजी संख्या 3471 के स्थान को आबादी में दर्ज किया। उसको नामान्तरकरण में हेराफरी कर चारागाह में दर्ज कर दिया। जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध बार बार बेदखली की कार्यवाही की जाती हैं। जिसे रोका जाना आवश्यक होने तथा हेराफरी के पूर्व के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 352 दिनांक 22.07.99 जिसमें हाल आराजी संख्या 3462 का रकबा 0.3900 हैक्टर आराजी संख्या 3463 रकबा 0.0500 हैक्टर आराजी संख्या 3464 रकबा 0.0200 हैक्टर आराजी संख्या 3471 रकबा 0.2500 हैक्टर में अपीलान्ट के कब्जेशुदा प्लॉट मकान को मिलाते हुए राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करना आवश्यक होने तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कराना फरमावें। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त स्थिति को नजर अंदाज करते हुए मात्र राजस्व अभिलेख में भूमि चारागाह दर्ज होने से बेदखली के आदेश पारित कर दिये गये जो काबिल निरस्त

हैं। अतः अपीलान्ट के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही को भी ड्रोप फरमायी जावें।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलान्ट के आवेदन पत्र पर न्यायालय हाजा की पूर्व प्रकरण संख्या 14/10 अभिलेख से मंगवायी गई। जो संलग्न पत्रावली हैं। विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपील मेमो का जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया हैं।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा दिया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये पट्टे की भूमि को जिला कलक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.12.88 को अन्य आराजीयातो के साथ में आबादी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। अपने आदेश में ढींकली की चरागाह की आराजी संख्या 1664/3 में से 2 बिघा 5 बिस्वा एवं 1665/4 में से 1 बिघा कुल किता 2 रकबा 3 बिघा 5 बिस्वा भूम को चारागाह से कम कर आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत ढींकली को हस्तान्तरित करने के आदेश दिये गये। साबिक आराजी संख्या 1664/3 के हाल आराजी संख्या 3471 बने हैं। उक्त भूमि को आबादी में परिवर्तित कराये जाने हेतु दिनांक 07.02.97 को पत्र लिखा गया। जिस पर तहसीलदार गिर्वा द्वारा पटवारी से रिपोर्ट ली गई। उक्त रिपोर्ट में मौके पर कई मकान बने होने का उल्लेख हैं। इसके बावजुद भी आबादी में दर्ज करने की कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी के अलावा मौके पर अन्य व्यक्तियों के भी मकान बने हुए है जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नही की गई। मात्र अपीलार्थी के विरूद्ध ही कार्यवाही की गई जो न्यायसंगत नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है उसमें भी कॉट छांट कर रकबे को कम ज्यादा अंकित करते हुए मनमाफिक तरीके से चहेते लोगो को लाभ पहुॅचाने की दृष्टि से तत्कालीन पटवारी द्वारा सारी कार्यवाही की गई हैं। तत्कालीन पटवारी व सरपंच द्वारा सारी कार्यवाही की गई हैं। यदि जिला कलक्टर के आदेश की पालना शत प्रतिशत की गई होती तो अपीलार्थी का मकान भी आबादी भूमि में दर्ज हो जाना चाहिये था। परन्तु जानबुझकर अदावट रखते हुए अपीलार्थी के मकान की भूमि को आबादी में नहीं लेकर मिलीभगत से जो नामान्तरकरण में हेराफेरी कर आराजी नम्बर 3471 का रकबा कम कर दिया। अतः अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हुए नामान्तरकरण में जिनके द्वारा कांट फास की गई है उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावें। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा एक सिविल दावा ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये पट्टे के आधार पर किया गया था जिसमें माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 1,

उदयपुर शहर के प्रकरण संख्या 205/95 ई.दी. निर्णय दिनांक 13.03.97 से माननीय न्यायालय द्वारा वादिया के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगणो के विरूद्ध दे रखी हैं। अपीलार्थीया द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदया को भी वस्तुस्थिति से अवगत करवाया गया था जिनसे भी श्रीमान को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया था जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण में दोषी व्यक्तियो के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.07.15 अपास्त किया जावें। अपनी बहस की ताईद में वेस्टर्न लॉ केस (राज) 14.10.06 पेज 66 की नजीर प्रस्तुत की गई।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा निवेदन किया कि अप्रार्थी का कब्जा ग्राम ढींकली के खसरा संख्या 3471 रकबा 1.02 हैक्टर किस्म चरागाह भूमि पर है जो राजकीय बिलानाम चरागाह अभिलेख में दर्ज हैं। अतिक्रमित भूमि राजकीय चारागाह की होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित हैं एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चारागाह भूमि को आवंटित अथवा संपरिवर्तित नहीं किया जा सकता हैं। यदि यह माना भी जावे कि अपीलान्ट को ग्राम पंचायत ढींकली द्वारा आवासीय पट्टा जारी किया गया है ग्राम पंचायत ढींकली द्वारा अपीलान्ट को मात्र 30×45 वर्गफीट का पट्टा दिया गया हैं। जबकि अपीलान्ट द्वारा 1.02 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमण किया गया हैं। जो अवैध होकर नियमो के विरूद्ध हैं। ऐसे अतिक्रमी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली के आदेश दिये गये है वे उचित व विधिसंगत हैं। अतः अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर खारीज कराना फरमावें।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली के साथ में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकर्ड से तलब पत्रावली का भी गहन अध्ययन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन के उपरान्त संलग्न पत्रावली नामान्तरकरण संख्या 352 की छायाप्रति को देखने से जाहीर होता है कि उसमें कांट छांट की गई हैं। जिस आदेश से नामान्तरकरण खोला गया है उस आदेश की प्रति भी चस्पा नहीं हैं। न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न भी आया कि इसी आराजीयात में अन्य लोगो के भी मकान बने हुए है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाकर मात्र अपीलार्थी के विरूद्ध ही बेदखली की कार्यवाही की गई हैं एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट मय पर्चा मौका दिनांक 05.02.98 की छायाप्रति जो संलग्न पत्रावली है जिसमें साबिक नम्बर 1664/3 रकबा 2.05 बिघा एवं आराजी संख्या 1665/4 रकबा 1 बिघा जो जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 31.12.88 से ग्राम पंचायत ढींकली को आबादी विस्तार हेतु दी गई थी। जिसके बने हाल नम्बरो का नामान्तरकरण संख्या

352 खोला गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय को इसकी भी जॉच करनी चाहिये थी कि क्या वास्तव में साबिक के मुकाबले हाल नम्बरो का ही नामान्तरकरण खोला गया है या दीगर व्यक्तियो को अवैध लाभ पहुॅचाने की दृष्टि से तत्समय के पटवारी द्वारा नामान्तरकरण खोलते समय कांट छांट की गई हैं। जहॉ तक अपीलार्थी का यह कथन की सिविल न्यायालय द्वारा स्थगन प्रदान किया गया हैं। इस बाबत दिये गये स्थगन से अधिनस्थ न्यायालय पाबन्द नहीं हैं। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय में जो दस्तावेजात अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये है उन्हे बिना देखे बिना जॉचे आदेश दिया जाना भी न्यायसंगत नहीं हैं। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा पूर्व में भी न्यायालय भूबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय द्वारा भी दिये गये ऑब्जर्वेशन की रोशनी में नये सीरे से निर्णय पारित करने हेतु पत्रावली पुनः प्रतिप्रेषित की गई हैं। अपीलार्थी के आस पास में कितने मकान बने हुए है कब कब बने है ये मकान आबादी में कब परिवर्तित हो गये थे एवं अपीलार्थी का मकान आबादी में दर्ज होने से वंचित क्यो रहा इत्यादि कथन पर अधिनस्थ न्यायालय को जॉच कर ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। जिसका पत्रावली पर अभाव पाया जाता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त पट्‌टा 30×45 वर्गफीट भूमि तक उपरोक्त दिये गये ऑब्जर्वेशन की रोशनी में नये सीरे से पूर्ण जॉच करते हुए गुणावगुण पर विस्तृत आदेश पारित करें। विस्तृत जॉच एवं आदेश तक इस भूमि से बेदखल नहीं किया जाकर शेष भूमि से अपीलार्थी को बेदखल किया जावें। अतिक्रमित भूमि की किस्म चरागाह हैं। पट्‌टे के अतिरिक्त भूमि पर अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें। रेकार्ड से तलब की गई पत्रावली संख्या 14/10 मय निर्णय की प्रति के साथ में पुनः प्रेषित की जावें। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पत्रावली पर व्यवस्थित रखे जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्‌तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर